न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा

पीठासीन अधिकारी : सुश्री पार्थवी, R.A.S.

प्रकरण संख्या : 92 / 18 **GCMS id : 2018 / 00168**

भैरूनाथ आत्मज धन्नालाल, जाति नाथ (मृतक) जरिये कायम मुकामान –
1–2. ओम प्रकाश, प्रहलाद कुमार पुत्रान भैरूनाथ, जाति नाथ, निवासीगण ग्राम जगपुरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

– (वादीगण)

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील पीपल्दा, जिला कोटा
2. नगर विकास न्यास, कोटा
3. शिव प्रकाश योगी पुत्र भैरूनाथ, जाति नाथ, निवासी ग्राम जगपुरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

4–5. अनार बाई, जसोदा बाई पुत्रियाँ भैरूनाथ
6. मथुरी बाई पत्नी स्व. भैरूनाथ
जाति नाथ, निवासीगण ग्राम जगपुरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

– (प्रतिवादीगण)

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 92ए, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती, स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थिति : श्री शैलेन्द्र माथुर,
अभिभाषक वादी क्रम–1 एवं प्रतिवादी क्रम 3, 4, 5

निर्णय

दिनांक : 10.11.2021

1- वादीगण की ओर से एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 92ए, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बाबत प्रदान करने खातेदारी घोषणा, राजस्व अभिलेख की इन्द्राज दुरूस्ती एवं आराजी की स्थायी निषेधाज्ञा पेश किया गया।

2- वादीगण द्वारा अपने वादपत्र में निवेदन किया गया कि –

- वादीगण के स्व0 पिता भैरूनाथ आत्मज धन्नालाल जाति नाथ निवासी ग्राम जगपुरा तहसील लाड़पुरा जिला कोटा की आवंटित आराजी खसरा नम्बर 28 रकबा 0.24 हैक्टर, खसरा नम्बर 139 रकबा 0.27 हैक्टर, खसरा नम्बर 210 रकबा 0.05 हैक्टर, खसरा नम्बर 211 रकबा 0.14 हैक्टर, कुल किता 4 कुल रकबा 0.70 हैक्टर, जो दिनांक 07.11.1989 को अनाधिवासित कृषि भूमि के आवंटन आदेश दिनांक 17.06.1989 को हुयी थी।
- उसके पश्चात वादीगण के स्व0 पिता भैरूनाथ जी को उक्त भूमि पर दखलनामा उपखण्ड अधिकारी कोटा द्वारा दिया जाकर अधीनस्थ पटवारी हल्का दिनांक 07.11.1989 को हस्ताक्षर करके भैरूनाथ जी को दी जा चुकी थी और उक्त विवादित भूमि पर भैरूनाथ जी की गैरखातेदारी में दर्ज की गई थी। इसके पश्चात भी भैरूनाथ जी उक्त विवादित भूमि पर काबिज काश्त थे।

- उक्त भूमि पर गैर खातेदारी भूमि को तहसीलदार लाड़पुरा द्वारा बिना पक्षकारान् की सुनवाई किए हुए उक्त भूमि को सिवाय चक दर्ज कर दिया गया है जबकि उक्त भूमि पर वादीगण के पिता व उनकी मृत्यु के पश्चात् वादीगण व प्रतिवादीगण 3 लगायत 7 उक्त सिवायचक भूमि पर काबिज है और आज भी काबिज काश्त है। इसके पश्चात् भी उक्त विवादित भूमि को राजस्व रिकोर्ड में सिवायचक होने के कारण उक्त भूमि पर नामन्तरण संख्या 280 दिनांक 26.08.2013 के मुताबिक नगर विकास न्यास मे दर्ज की गयी है।
- उक्त भूमि भैरूनाथ आत्मज धन्नालाल के गैर खातेदारी मे होने के बावजूद भी व बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए उक्त भूमि को सिवाय चक दर्ज करने का कोई कानूनी अधिकार तहसीलदार लाड़पुरा कोटा को नही है क्योंकि उक्त भूमि पर वादीगण काफी समय से काबिज काश्त चले आ रहे है।
- वादीगण के पिता की भूमि को गैर खातेदारी मे होने के पश्चात सिवाय चक दर्ज किए जाने के कारण वादीगण को उक्त दुरूस्तीकरण व स्थायी निषेधाज्ञा का वाद न्यायालय हाजा मे पेश करने के लिए आवश्यक हो गया।
- उक्त वाद मे प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 स्टेट ऑफ राजस्थान लेण्ड होल्डर होने के कारण आवश्यक पक्षकार है इसलिए वाद पेश करने से पूर्व धारा 80 सीपीसी का मियादी 2 माह का प्रेषित किया जाना आवश्यक है किंतु वाद अर्जेन्ट नेचर का होने से नोटिस दिया जाना संभव नही है। इस हेतु धारा 80(2) जा0 दी0 का प्रार्थना पत्र अलग से अनुमति प्रदान करने हुतु प्रस्तुत किया जा रहा है।
- उक्त आराजीयात सम्माननीय न्यायालय के श्रवणाधिकार मे है, इसलिए वाद को सुनने का श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय हाजा को प्राप्त है। उक्त वाद उचित न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है।
- अतः श्रीमान से निवेदन है कि भैरूलाल आत्मज धन्नालाल की मृत्यु के पश्चात वादीगण व प्रतिवादीगण नम्बर 3 लगायत 7 के आराजी खसरा नंबर 28, 129, 210, 211 कुल रकबा 0.70 हैक्टर भूमि को गैर खातेदारी में दर्ज किए जाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशन देने की कृपा करे व जो भी न्योयोचित सहायता हो वह वादीगण तथा प्रतिवादी नंम्बर 3 लगायत 7 को प्रदान की जावे ताकि न्याय प्राप्त हो सके।
- वादीगण द्वारा वादपत्र के कथनों के समर्थन में प्रकरण की विवादित आराजी से सम्बन्धित निम्नांकित दस्तावेज पेश किये गये : –

1.) छायाप्रति आवंटन आज्ञा पत्र दिनंक 17.06.1989
2.) दखलनामा छायाप्रति दिनांक 07.11.1989 जो अलोटी भैरूनाथ को जारी किया
3.) नकल हाल जमाबन्दी ग्राम उम्मेदपुरा
4.) नकल जमाबन्दी संवत 2038–2057 ग्राम उम्मेदपुरा
5.) नकल मिलान क्षैत्रफल संवत 2038–2057 ग्राम उम्मेदपुरा

3- न्यायालय में प्रतिप्रेषित वाद को दर्ज रजिस्टर किया गया। माननीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 14.03.2018 में पक्षकारान को दिनांक 23.04.2018 को न्यायालय में उपस्थित होने हेतु प्राप्त निर्देशों के क्रम में वादी ही उपस्थित हुये। प्रतिवादी क्रम 1 व 2 को उपस्थिति हेतु लगातार अवसर दिये जाने के बावजूद उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ फलस्वरूप आदेश 9 नियम 6[1](क) सीपीसी के अनुसार प्रतिवादी

क्रम 1 व 2 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में प्रतिवादी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही होने के फलस्वरूप कोई विवादित बिन्दु नहीं होने से तनकीयात कायम नहीं किये गये। वादी की ओर से गवाह ओमप्रकाश योगी, अनार बाई, प्रहलाद कुमार, जसोदा उर्फ यशोदा एवं प्रेमबाई के साक्ष्य के शपथ पत्र पेश किये गये जिसमें वादपत्र के कथनों को दोहराते हुये वादपत्र की प्रार्थना अनुसार विवादित आराजी के लिये वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 6 को खातेदार घोषित किये जाने का निवेदन किया गया। प्रकरण में पेश किये गये दस्तावेजात पर वादी–प्रतिवादी अभिभाषक द्वारा प्रदर्श नहीं डाले गये।

4- प्रकरण पर विद्वान वादी अभिभाषक की एकपक्षीय बहस अन्तिम सुनी गई। वादी अभिभाषक ने अपनी बहस में वादपत्र के कथनों को दोहराते हुये निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 3 लगायत 5 के पिता एवं क्रम–6 के पति श्री भैरूनाथ आत्मज धन्नालाल जाति नाथ निवासी ग्राम जगपुरा तहसील लाड़पुरा जिला कोटा को ग्राम उम्मेदपुरा की आराजी खसरा नम्बर 28 रकबा 0.24 हैक्टर, खसरा नम्बर 139 रकबा 0.27 हैक्टर, खसरा नम्बर 210 रकबा 0.05 हैक्टर, खसरा नम्बर 211 रकबा 0.14 हैक्टर, कुल किता 4 कुल रकबा 0.70 हैक्टर, दिनांक 07.11.1989 को अनाधिवासित कृषि भूमि के आवंटन का आदेश दिनांक 17.06.1989 को हुआ था। उसके पश्चात उक्त भूमि पर उपखण्ड अधिकारी कोटा द्वारा दखलनाम दिया जाकर उक्त विवादित भूमि भैरूनाथ जी की गैरखातेदारी में दर्ज की गई थी। उक्त गैरखातेदारी की भूमि को तहसीलदार लाडपुरा द्वारा बिना पक्षकारान् की सुनवाई किए हुए सिवायचक दर्ज कर दिया गया है। इसके पश्चात् भी उक्त विवादित भूमि को राजस्व रिकोर्ड में सिवायचक होने के कारण उक्त भूमि पर नामन्तरण संख्या 280 दिनांक 26.08.2013 के मुताबिक नगर विकास न्यास ने दर्ज की गयी है। उक्त भूमि भैरूनाथ आत्मज धन्नालाल के गैर खातेदारी ने होने के बावजूद भी व बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए उक्त भूमि को सिवाय चक दर्ज करने का कोई कानूनी अधिकार तहसीलदार लाड़पुरा कोटा को नही है क्योंकि उक्त भूमि पर वादीगण काफी समय से काबिज काश्त चले आ रहे है। अतः निवेदन है कि ग्राम उम्मेदपुरा, तहसील लाडपुरा की आराजी खसरा नंबर 28, 129, 210, 211 कुल रकबा 0.70 हैक्टर को वादीगण व प्रतिवादीगण नम्बर 3 लगायत 6 की खातेदारी में दर्ज किए जाने के आदेश प्रदान करें।

5- हमने वादी क्रम–1 एवं प्रतिवादी क्रम 3 लगायत 5 के अभिगाषक की एकपक्षीय बहस अन्तिम के कथनों पर मनन किया और पत्रावली उपलब्ध समस्त दस्तावेजात का उनके गुणावगुण के आधार पर आद्योपान्त अवलोकन अध्ययन किया। यह सही है कि अनाधिवासित कृषि भूमि के आवंटन की आज्ञा (प्रपत्र 5) के अनुसार भैरूनाथ आत्मज धन्नालाल को ग्राम उम्मेदपुरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की आराजी खसरा नम्बर 28 रकबा 0.16 हैक्टर, खसरा नम्बर 139 रकबा 0.27 हैक्टर, खसरा नम्बर 210 रकबा 0.05 हैक्टर, खसरा नम्बर 211 रकबा 0.14 हैक्टर, कुल किता 4 कुल रकबा 0.62 हैक्टर का आवंटन किया गया था। उक्त आवंटन पत्र (प्रपत्र–5) के बिन्दु–7 (3) के अनुसार आवंटित की शर्तों में अंकित है कि आवंटिती को आवंटन तिथि से एक वर्ष के भीतर 50 प्रतिशत भूमि कृषिमय करना होगा। शेष 50 प्रतिशत दूसरे वर्ष में कृषिमय करना होगा। इस शर्त की पालना की गई हो ऐसा कोई प्रमाण प्रकरण में पेश नहीं किया गया है। इसी बिन्दु 7(5)(क) के अनुसार आवंटित की शर्तों

में अंकित है कि "आवंटित भूमि बिना कोई सम्पूर्ति दिये ही राजस्थान सरकार द्वारा वापस ली जा सकती है यदि आवंटिती ने आवंटन की ठीक अनुपालना से निर्धारित समय में कृषिमय नहीं की हो और उसका उचित उपयोग नहीं किया हो। वादीगण द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य आदि पेश नहीं किया गया है कि जिससे यह प्रमाणित हो कि आवंटन के बाद से ही विवादित आराजी पर आवंटी भैरूनाथ और उनके बाद उनके वारिसान का ही कब्जा रहा हो। वादी द्वारा दखलनामा की छायाप्रति पेश की गई जो स्पष्ट नहीं है और ना ही वादी द्वारा पेश किये गये दस्तावेजात पर प्रदर्श डाले गये है। भैरूनाथ आत्मज धन्नालाल को आवंटि आराजी का आवंटन आदिनांक तक बहाल होने का भी कोई प्रमाण वादी की ओर से पेश नहीं किया गया है। विवादित आराजी पर निर्बाध रूप से काबिज काश्त रहने सम्बन्धी कोई दस्तावेज आदि पेश नहीं किये गये है। इस प्रकार स्पष्ट है कि आवंटन शर्तों की पालना नहीं किये जाने के कारण विवादित आराजी को पहले सिवायदक दर्ज किया गया, तदुपरान्त राजकीय आदेशानुसार ही नगर विकास न्यास, कोटा के खाते दर्ज किया गया है, जो सही है। वादीगण अपने साक्ष्यों के आधार पर वादपत्र के कथनों को प्रमाणित करने में असमर्थ रहे है। साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि विवादित आराजी तहसील लाडपुरा, जिला कोटा के ग्राम उम्मेदपुरा, पटवार हल्का आलनिया से सम्बन्धित है तथा आलनिया क्षैत्र नगर निगम क्षैत्र में आता है तथा नगर निगम क्षैत्र में स्थित कृषि आराजी की खातेदारी प्रदान किये जाने के अधिकार इस न्यायालय को प्राप्त नहीं है। अतः पर्याप्त साक्ष्यों के माध्यम से दावे के कथनों को सिद्ध नहीं कर पाने तथा (आलनिया) नगर निगम क्षैत्र में स्थित विवादित आराजी की खातेदारी प्रदान करने का अधिकार इस न्यायालय को प्राप्त नहीं होने के कारण खातेदारी घोषणा, राजस्व अभिलेख (जमाबन्दी) की इन्द्राज दुरूस्ती एवं प्रतिवादी क्रम 1 व 2 के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा का वाद वादी अस्वीकार कर खारिज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया।

6- निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 10 नवम्बर, 2021 को मेरे द्वारा लिखवाया और टंकित करवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(सुश्री पार्थवी)
सहायक कलक्टर,
(मुख्यालय), कोटा

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियन 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय), कोटा

पीठासीन अधिकारी– सुश्री पार्थवी, R.A.S.

बउनवान :–

भैरूनाथ आत्मज धन्नालाल, जाति नाथ (मृतक) जरिये कायम मुकामान –
1–2. ओम प्रकाश, प्रहलाद कुमार पुत्रान भैरूनाथ, जाति नाथ, निवासीगण ग्राम जगपुरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

– (वादीगण)

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील पीपल्दा, जिला कोटा
2. नगर विकास न्यास, कोटा
3. शिव प्रकाश योगी पुत्र भैरूनाथ, जाति नाथ, निवासी ग्राम जगपुरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

4–5. अनार बाई, जसोदा बाई पुत्रियाँ भैरूनाथ
6. मथुरी बाई पत्नी स्व. भैरूनाथ
जाति नाथ, निवासीगण ग्राम जगपुरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

– (प्रतिवादीगण)

दावा बाबत : 88,89,92A,188 RTA
मुकदमा नम्बर : 92/18
निर्णय दिनांक : 10-11-2021

GCMS Id : 2018/00168

न्यायालय हाजा में वादी की ओर से विद्वान वादी क्रम–1 एवं प्रतिवादी क्रम 3 लगायत 5 के अभिभाषक श्री शैलेन्द्र माथुर की उपस्थिति में वाद पत्र की बहस अन्तिम सुनने के बाद आज तारीख 10–11–2021 को (डिक्रीदार) पीठासीन अधिकारी सुश्री पार्थवी, आर.ए.एस. के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर पर्याप्त साक्ष्यों के माध्यम से दावे के कथनों को सिद्ध नहीं कर पाने तथा (आलनिया) नगर निगम क्षैत्र में स्थित विवादित आराजी की खातेदारी प्रदान करने का अधिकार इस न्यायालय को प्राप्त नहीं होने के कारण खातेदारी घोषणा, राजस्व अभिलेख (जमाबन्दी) की इन्द्राज दुरूस्ती एवं प्रतिवादी क्रम 1 व 2 के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा का वाद वादी अस्वीकार कर खारिज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया। * खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

यह डिक्री आज तारीख 10.11.2021 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई।

(सुश्री पार्थवी)
सहायक कलक्टर,
(मुख्यालय), कोटा

वाद के खर्चे

वादी			प्रतिवादी		
1.	वाद पत्र के लिये स्टाम्प	रुपया	1.	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	रुपया
2.	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प		2	अर्जी के लिये स्टाम्प	
3.	अदर्शों के लिये स्टाम्प		3.	प्लीडर के लिये फीस	
4.	.... रुपये पर प्लीडर की फीस		4.	साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय	
5.	साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय		5.	आदेशिका की तामिल	
6.	कमिश्नर की फीस आदेशिका की तामिल		6.	कमिश्नर की फीस	
	जोड़			जोड़	